

न्यायालय: अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-1494 / 2003
संस्थित दिनांक-01.08.2003
फाईलिंग क.234503000342003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

जावेद खान पिता छोटा मिस्त्री उर्फ शब्बीर हुसैन,
उम्र-24 वर्ष, वार्ड नं.03, ताज नगर बालाघाट
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक 12.09.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-66/192, 113/194 एवं 130/177 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक-23.05.03 को 19:00 बजे स्थान उदघाटी रोड़ आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 50-0103 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को खाई में गिराकर उसमें सवार सुखलाल, रामलाल, गणेश, समलसिंह को साधारण एवं नेतलाल के बायें पैर, स्कलबोन, एवं मिडिल बोन में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना परमिट के, निर्धारित क्षमता से अधिक बांस भरकर परिवहन करते पाये गये तथा वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वाहन के दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि तिलकसिंह आरक्षक क्रमांक 884 पुलिस पुलिस चौकी अस्पताल बालाघाट के अनुसार दिनांक-31.05.2003 को चौकी प्रभारी ने उसे देहाती नालसी 0/03 धारा-279/337 भा.दं.सं. की असल अपराध कायम कराने हेतु दिया था। दिनांक 23.05.03 को जिला अस्पताल बालाघाट से डॉक्टर वर्मा द्वारा लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें बांस से भरे ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त होना होना लेख है। तहरीर जांच में मुर्तजर नेतलाल के कथन लिये गये, जिसमें उसने बताया कि दिनांक 23.05.03 को करीबन 7.00 बजे शाम को ट्रक क्रमांक एम.पी. 50/0103 के चालक जावेद ने तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर बांस से

भरे ओव्हरलोडिंग ट्रक को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए असंतुलित कर उदघाटी में चढ़ते समय नीचे उतारकर खाई में गिरा दिया, जिससे नेतलाल एवं उसमें बैठे हमाल समनसिंह, गणेश, रामलाल, सुखलाल को चोटें आयी है। घटना को बस में बैठे लोगों ने देखे है और उन्हें उक्त बस से ईलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया। तहरीर जांच में चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/03 धारा 279/337 भा.द.वि. का कायम कर अग्रिम विवेचना हेतु थाना रूपझर भेजा गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा जप्तशुदा वाहन को जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना के दौरान अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-338 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-धारा-279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-66/192, 113/194 एवं 130/177 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या अभियुक्त ने दिनांक-23.05.2003 को 19:00 बजे स्थान उदघाटी रोड़ आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 50-0103 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2— क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर को खाई में गिराकर उसमें सवार सुखलाल, रामलाल, गणेश, समलसिंह को साधारण उपहति कारित किया ?

3— क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर नेतलाल के बायें पैर, स्कलबोन, एवं मिडिल बोन में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

4— क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना परमिट के, निर्धारित क्षमता से अधिक बांस भरकर परिवहन करते पाये गये ?

5— क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वाहन के दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 03

नोट— सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी नेतलाल अ.सा.01 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पूर्व की है। घटना के समय वह जावेदखान के ट्रक में बांस भरने का काम करता था। कोपनाकूप से बांस भरकर वह रामलाल, सुखलाल, समल, गणेश के साथ ट्रक में बालाघाट जा रहे थे, तभी लगभग 4.00 बजे मजार के आगे उद घाट में गाड़ी एक नम्बर गैर में चढ़ती है। आरोपी चौथे गियर में गाड़ी चढ़ा रहा था। उस समय आरोपी स्वयं चला रहा था। आरोपी के बिना ब्रेक मारे न्यूटल हो गई थी और रिवर्स होकर खाई में गिर गई, जिससे उसका पैर टूट गया था और चेहरे पर चोट आई थी। अन्य लोगों को भी चोटें आई थी। उसका एवं अन्य लोगों का भी मुलाहिजा बालाघाट अस्पताल में हुआ था। उसने पुलिस को घटना के बारे में बता दिया प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह स्वीकार किया कि वह ट्रक के उपर केबिन में बैठा था। पुलिस ने उसका बयान लिया था। उसने पुलिस बयान प्रपी-1 में यह बताया था कि आरोपी चौथे गियर पर गाड़ी चढ़ा रहा था, जबकि गाड़ी एक नम्बर पर चढ़ती है, आरोपी ने गाड़ी न्यूटल कर दिया और ब्रेक नहीं मारा था जिससे रिवर्स होकर गाड़ी खाई में गिर गई थी, उक्त बात उसके बयान में नहीं लिखि हो तो वह कारण नहीं बता सकता, आरोपी ने ट्रक को उपर रोड़ पर घाटी में चढ़ाया था। यह अस्वीकार किया कि आरोपी ने ट्रक को उपर न चढ़ाकर खाई में गिरा दिया था, उक्त बात उसके बयान में लिखि हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने अस्वीकार किया कि यदि गाड़ी का गियर स्लिप हो गया हो तो उसकी उसे जानकारी नहीं है।

06— साक्षी रामलाल अ.सा.02 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो साल पूर्व की है। उसामाकूप से वह लोग 5.00 बजे बांस भरकर ट्रक में जा रहे थे। वह नेतलाल, गणेश, सुखलाल, समल उक्त ट्रक में जा रहे थे, जिसे आरोपी जावेद चला रहा था। उदघाटी में जैसे ही

उपर चढ़ने की कोशिश किये, तो रिवर्स होकर खाई में गिर गया, जिससे उसे कमर और जांघ में चोटें आई थी और अन्य कोई चोट नहीं थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि पुलिस ने उसका बयान लिया था, उसने पुलिस बयान में यह बता दिया था कि उदघाटी में जैसे ही ट्रक उपर चढ़ा था, ट्रक रिवर्स होकर खाई में गिर गया था, यदि उक्त बात उसके बयान में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता।

07— साक्षी गणेश अ.सा.03 का कहना है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 15 वर्ष पुरानी उदघाटी में दिन के करीब 4:00 बजे की है। घटना के समय वह अन्य मजदूरों के साथ बांस लेने उकमा जंगल में ट्रक में गया था, जिसे आरोपी चला रहा था। बांस भरकर लौटने के दौरान उदघाटी में ट्रक उपर चढ़ने के दौरान रिवर्स होकर खाई में गिर गया, जिससे उसमें सवार सभी व्यक्तियों को चोटें आई थी। उसे घटना में हाथ तथा पीठ पर चोटें आई थी। फिर उन लोगों को ईलाज के लिये बालाघाट अस्पताल लेकर गये थे, जहां पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। दुर्घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह ट्रक के केबिन में बैठा हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी ट्रक को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर खाई में गिरा दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी वाहन को धीमी गति चला रहा था।

08— साक्षी सुकलाल अ.सा.04 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 10 वर्ष पूर्व शाम करीब 5:00 बजे उदघाटी की है। घटना के समय वह अन्य मजदूरों के साथ जंगल में ट्रक लेने गया था। ट्रक को आरोपी जावेद चला रहा था। बांस भरकर लौटने के दौरान उदघाटी में ट्रक पलट गया, जिसमें सवार लोगों को चोटें आई थी। घटना में उसे सिर तथा हाथ में चोटें आई थी। घटना के बाद उन लोगों को ईलाज के लिये बालाघाट अस्पताल लेकर गये थे। उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे या नहीं। घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह ट्रक के उपर सो रहा था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी ट्रक को लापरवाहीपूर्वक चलाकर उदघाटी में खाई में गिरा

दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी वाहन को किस गति से चला रहा था। साक्षी के कथन अनुसार वह सो गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना कैसे और किसकी गलती से हुई थी उसे नहीं मालूम।

09— प्रकरण में साक्षी समलसिंह के कथन फौत होने के कारण नहीं कराये जा सके हैं तथा बचाव पक्ष के द्वारा आहतगण की मेडिकल रिपोर्ट स्वीकार की गई है तथा उक्त रिपोर्ट प्र.सी.01 लगायत प्र.सी.08 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि घटना के समय आहत नेतलाल को गंभीर उपहति कारित हुई थी, जबकि अन्य आहतगण को साधारण उपहति कारित हुई थी।

10— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहतगण नेतलाल को गंभीर उपहति तथा सुखलाल, रामलाल, गणेश एवं समलसिंह को साधारण उपहति कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। घटना के दोनों आहतगण नेतलाल अ.सा.01 तथा रामलाल अ.सा.02 ने केवल गाड़ी घाट में चढ़ने के दौरान रिवर्स होकर खाई में गिरने के कथन किये हैं तथा अभियुक्त की किसी विशिष्ट उपेक्षा अथवा उतावलेपन को दर्शित नहीं किया है, जबकि आहत गणेश अ.सा.03 तथा सुखलाल अ.सा.04 ने घटना में अभियुक्त की लापरवाही अथवा उतावलेपन से स्पष्ट इंकार किया है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक

को लोकमार्ग पर अपने वाहन ट्रक क्रमांक-एम.पी.50-0103 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को खाई में गिराकर उसमें सवार सुखलाल, रामलाल, गणेश, समलसिंह को साधारण उपहति एवं नेतलाल को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

11- प्रकरण में मोटर व्हीकल एक्ट के आरोपों के संबंध में लेशमात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं है तथा अभियोजन द्वारा विवेचक साक्षी की साक्ष्य भी नहीं कराई गई है, जिससे साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध तत्संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। अतः अभियुक्त जावेद खान को भा.दं०सं० की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-66/192, 113/194 एवं 130/177 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

12- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.50-0103 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

14- आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)